



केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-03, एच०यू०आर०एल० कैंपस, गोरखपुर

(शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, भारत सरकार)

KENDRIYA VIDYALAYA No-03, HURL CAMPUS, GORAKHPUR

(MINISTRY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY, GOVERNMENT OF INDIA)



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

पत्रांक संख्या: - / के.वि.3, एच.यू.आर.एल. गोरखपुर / 2026-27 /

दिनांक:- 06 / 08 / 2026

WHATS APP/ ई-मेल/ पंजीकृत/ दूतगामी डाक/ हाथों हाथ

सूचना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के पत्रांक 430331/के.वि.सं./ शैक्षिक/वाराणसी/ दिनांक 04.08.2026 तथा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नं-1 वायु सेना स्थल, गोरखपुर के पत्रांक F: 430331/2026-27/ के.वि.ए.एफ.एस.गो./ दिनांक 05.08.2026 के आलोक में तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश निर्देशिका 2026-27 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय नं-3, एच०यू०आर०एल० परिसर गोरखपुर के इच्छुक और पात्र विद्यार्थियों के स्थानीय स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय नं-3, एच०यू०आर०एल० परिसर गोरखपुर से स्थानीय स्थानांतरण पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नं-1 वायु सेना स्थल गोरखपुर या केन्द्रीय विद्यालय नं-2, उनौला दोयम, गोरखपुर हेतु अधिकृत है। उक्त दोनों विद्यालयों के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय, विद्यालय की वेबसाइट तथा संबंधित कक्षाध्यापक से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित इच्छुक और पात्र विद्यार्थियों के अभिभावक निर्धारित आवेदन पत्र पूरित कर समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ विद्यालय कार्यालय में दिनांक 17.08.2026 (सोमवार) को सायंकाल 04:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

अज्ञात
06/08/2026
प्राचार्य/PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय/KENDRIYA VIDYALAYA
नं-03, एच.यू.आर.एल. परिसर/No-03 HURL CAMPUS
गोरखपुर/GORAKHPUR-273007

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, VARANASI REGION**Application for Local transfer for the year 2026-27****(To be submitted in Triplicate in the KV where the student is presently studying)**

1. Transfer sought from KV NO.-3, HURL CAMPUS GORAKHPUR to KV
2. Name of Student (Capital Letter)
3. Sex
4. Father's name
5. Mother's name
6. Class in which the child is studying
7. Date of admission in KV
8. Fresh admission or admission on KV TC
9. Reason for seeking transfer
10. If siblings are studying in different KV, give their complete details (Attach any relevant documents)

SN	Name of Student	Class & Sec	Name of that KV	Date of first Admission in present KV
1				
2				

11. (a) Residential address at the time of admission * (Attach Proof)
(b) Present residential address * (Attach Proof)
(Residential proof of (a & b) both are to be attached)
12. Signature of the parent / guardian Date:

(To be filled up by the KV where the student is studying)**(After filling three copies, two copies are to be sent the KV where local transfer is sought)**

1. From which year the child is studying in your KV :
2. Whether the child admitted on transfer or fresh admission :
3. Attendance in current session : .
4. Category of the parent (must be filled up) :

Name of the Student	Class	No. of Sections	Average strength of the class	Recommendation of the Principal

Signature of Principal With seal**To be filled up by the KV where the local transfer sought)
(After filling up two copies, one copy is to be sent to RO)**

Class	No. of Sections	Average strength	Average Strength	Recommendation of the Principal

Signature of the Principal with seal**Approved/Not approved. (to be filled up by RO)**

(ब) स्थानीय के.वि. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) संबंधी प्रवेश एवं पाली में परिवर्तन के नियम स्थानीय स्थानान्तरण के निम्नलिखित मामलों को संबंधित के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्थानान्तरण पर विचार करते समय मामले की योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है:

- (i) पिछले/वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी आवास के आवंटन या अभिभावक के स्वयं के घर में शिफ्ट होने के मामले में (सिविल/रक्षा क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से IV और परियोजना/ उच्चतर शिक्षा संस्था क्षेत्र केन्द्रीय विद्यालय में प्राथमिकता श्रेणी I से V पर लागू)।
- (ii) परिस्थितियाँ, जहाँ विद्यार्थी/अभिभावक की चिकित्सीय तात्कालिकता/ गंभीर बीमारी के आधार पर अभिभावक द्वारा स्थानीय स्थानान्तरण की माँग की जाती है।
- (iii) जहाँ विद्यार्थी का भाई-बहन (सहोदर) उस केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है जहाँ प्रवेश माँगा गया है। ऐसे मामले में, संबंधित संभाग के उपायुक्त उन केन्द्रीय विद्यालय में से किसी एक केन्द्रीय विद्यालय में, जिसकी संबंधित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम हो, स्थानीय स्थानान्तरण को मंजूरी देंगे।
- (iv) पाली (शिफ्ट) में परिवर्तन की अनुमति संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केवल भाई-बहन (सहोदर) के मामले में ही दी जाएगी, जब बच्चे का भाई या बहन दूसरी पाली में पढ़ रहा हो। इस संबंध में किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त बिंदु (i) और (ii) के मामले में, आवंटित सरकारी आवास/ अभिभावक के स्वयं के घर के निकटतम केन्द्रीय विद्यालय में स्थानीय स्थानान्तरण की अनुमति 50 की कक्षा-क्षमता के भीतर दी जा सकती है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो अन्य निकटतम केन्द्रीय विद्यालय पर विचार किया जा सकता है।